अपीलान्ट के परिवार का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :-

चेताराम पुत्र रतनाराम (फौत)

!

....

! !

पूनाराम (पुत्र) ....

! !

बुधाराम (पुत्र) झमुडी

(पत्नी)

उपरोक्त वारिसान् स्व0 चेलाराम जी के विधिक वारीसान है तथा अपीलान्ट के पिता स्व0 मगनाराम पुत्र चेलाराम का देहान्त दिनांक 05.03.1977 को हो गया था। स्व0 `लाराम का देहान्त होने पर राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामा0 करण संख्या 386 भरा गया, जिसमे राजस्व अधिकारियों ने चेलाराम के बडे पुत्र पुनाराम अकेले का नाम ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया है। वक्त फोतेदगी नाम0करण न तो चेलाराम के विधिक वारीसान की जांच की गई और न ही अपीलान्ट को सुना गया ओर न नोटिस दिया गया। ग्राम पंचायत दवारा गलत म्यूटेशन अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक था, परन्तु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियो की भूल एवं गलती से इन्द्राज होने से रह गया।

हाल ही में अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी प्राप्त की तो जानकारी में आया कि उनकी सयुक्त पुश्तेनी खातेदारी वर्णित खसरो में उनका नाम ही होकर अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम फोतेदगी नामा0करण संख्या 386 के तहत नाम इन्द्राज कर दिये गये ओेलान्ट को हल्का पटवारी से इस प्रकार की जानकारी होने पर रेस्पोडेट संख्या 1 से मिलकर रेकर्ड दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन रेस्पोडेंट दवारा लगातार-टालमटोल करने से तथा सही प्रत्युत्तर नहीं देने पर अन्दर मियाद यह राजस्व अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम अपीलान्ट प्रार्थी ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्व नामान्तरणकरण संख्या 386 ग्राम सतलाना , ग्राम पंचायत सतलाना दिनांक अपठनीय के विरुद्व बहुत ही मजबूत आधारो पर पेश की गई। । कथित म्यूटेशन संख्या 386 पारित करते समय अपीलान्ट बुद्वाराम नाबालिंग था तथा उसकी

उपखण्ड अधिकारी ... लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

ाता श्रीमती झमुडी अनपढ , निरक्षर होने व विधि की जानकारी नही होने के कारण अपनी पुश्तेनी कृषि भूमि का खाता नही देखा लेकिन हाल ही में अपीलान्ट की किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि उक्त वणिर्तत खसरों में नाम नही है। जिसकी जानकारी दिनांक 09.03.2014 को होने पर अपीलान्ट ने तुरन्त ही पूर्ण खाता की जानकारी प्राप्त कर नकल नामान्तरणकरण संख्या 386 प्राप्त कर नकल प्राप्ति के अन्दर मियाद है।

अतः मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें तथा अपील की सुनवाई गुणावगुण पर मेरिट पर किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री रमेश व ओमप्रकाश चौधरी दवारा वकालात पेश किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब अपील पेश नहीं किया गया। वकील अपीलान्ट दवारा रेस्पोडेट संख्या 1 का फार्म न 3 के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तथा कायम मुकाम पेश किये गये जो रेकर्ड पर लिये गये। अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में कथन किया कि ग्राम सतलाना का नामा0करण संख्या 386 केवल पूनाराम के नाम ही स्वीकृत कर दिया , जबकि अपीलान्ट भी इनके वारिस है। हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया एवं विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज किया जावे।

बहस व कथनो पर भी मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि मौजा सतलाना व कृष्णखेडा के अपील में अंकित खसरान् की भूमि जिसमे अपीलान्ट के दादा चेलाराम की खातेदारी भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलान्ट चेलाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस है। इस कारण प्रथम श्रेणी के वारिसों के नाम उक्त नामान्तरणकरण में दर्ज होने से घूट जाना प्रतीत होते है। जो कि हल्का पटवारी सतलाना की तस्दीक वंशावली रिपोर्ट दिनांक 15.06.2018 से साबित है। इस प्रकार से चेलाराम के फोत होने पर नाम0करण संख्या 386 रेस्पोडेंट सं0 1 ने अपने नाम स्वीकृत करवाया है जो विधिसम्मत नहीं है।

अतः अपीलान्ट दवारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम एवं अपील को स्वीकार किया जाकर मौजा कृष्णाखेडा पं0म0 सतलाना के खसरा नं0 977 रकबा 0.07 बीघा , ख0न0 978 रकबा 6.19 बीघा, ख0न0 982 रकबा 25.04 बीघा, ख0न0 983 रकबा 15.14 बीघा, ख0न0 984 रकबा 28.09 बीघा, ख0न0 999 रकबा 33.12 बीघा , ख0न0 1004 रकबा 0.02 बीघा , कुल रकबा 110.07 बीघा एवं मौजा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी
प्रशासन ... 2021

सतलाना के ख0 न0 83 रकबा 145.03 बीघा का चेलाराम के विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 386 सरपंच ग्राम पंचायत सतलाना द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड किया जाकर स्व0 चेलाराम के विधिक वारिसानो की मजमे–ए–आम में जांच कर नये सिरे से सभी हितबद्व पक्षो को सुनकार नामा0करण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर ए एस)
न्यायालय सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

उपखण्ड अधिकारी लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट